

I/43154/2021

संख्या-998 / एक-10-2020-33(221) / 2011 टीसी-4

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बलरामपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, सन्तकबीरनगर, ललितपुर, मुरादाबाद एवं आजमग

राजस्व अनुभाग-10लखनऊ: दिनांक: 05/01/2021

विषय:-कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता हेतु पी०ए०एस० (Public Address System) स्थापित करने के लिये धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-785/एक-11-2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, बचाव एवं उपचार के संबंध में जन जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर एवं जनपद की सभी तहसील कार्यालय परिसर में पी०ए०एस० (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) स्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव एवं शासनादेश संख्या-798/एक-11-2020-रा०-11, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में **रु० 9,58,000/- (रु० नौ लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से निम्नलिखित विवरण तथा शतों एवं प्रतिशतों के अधीन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रु० में

क्र० सं०	जनपद	पी० ए० सिस्टम स्थापित किया जाना जहां अवशेष है		कुल स्थापित किये जाने वाले पी० ए० सिस्टम की संख्या	जनपद को आवंटित धनराशि रु० 35000/- प्रति सिस्टम जीएसटी सहित (धनराशि लाख रु० में)
		जिलाधिकारी कार्यालय परिसर	तहसील कार्यालय परिसर		
1	2	3	4	5	6
1	बलरामपुर	1	3	4	1.40
2	श्रावस्ती	1	-	1	0.35
3	फतेहपुर	1	3	4	1.40
4	सन्तकबीरनगर	1	3	4	1.40
5	ललितपुर	1	-	1	0.35
6	मुरादाबाद	1	4	5	1.53

I/43154/2021

7	आजमगढ़	1	8	9	3.15
योग		7	21	28	9.58
(रु० नौ लाख अठ्ठावन हजार मात्र)					

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा।

(2) उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों तथा अच्छे ब्रान्ड/कम्पनी के होने चाहिए। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेंगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1- 11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर

I/43154/2021

रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by TRR Khet
Date: Tue Jan 05 16:46:38 IST
2021
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-998 (1)/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-4 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-06/01/2021

प्रेषण संख्या:- 998
आवंटन आदेश संख्या:- 211-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	153000 7153000	153000 7153000
2	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	140000 4140000	140000 4140000
3	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	315000 10315000	315000 10315000
4	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	35000 5210000	35000 5210000
5	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	140000 640000	140000 640000
6	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	140000 5140000	140000 5140000
7	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	35000 1140000	35000 1140000
	योग	वर्तमान प्रगामी	958000 33738000	958000 33738000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख अठ्ठावन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सैंतीस लाख अड़तीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त